



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देर रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हनुमान मंदिर के आगे मोड़ के पास एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पंकज उर्फ भूरा पुत्र प्रमोद किशोर निवासी कनवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 53/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय श्री राजेश कुमार मौर्य
2. कां0 जीतेन्द्र सिंह
3. कां0 ऋषभ
4. कां0 विकास सिंह